जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
जबलपुर–482004 (म0प्र0)

email: registrarjnkvv@gmail.com (Ph. 0761-2681778)

क्रमांक–शैक्ष. / दो / एम–8(डिप्लोमा) / 2021–22 / 1224 दिनांक: 06/ 10 / 2021

प्रति,

श्रीमति भारती दास,
प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाईट,
विनियोग एवं उपकरण सेन्टर,
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
जबलपुर

विषयः– जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, गढ़ाकोटा (सागर) में संचालित द्वि–वर्षीय उद्यानिकी पत्रोपाधि कोर्स (2-Years Diploma in Horticulture) शैक्षणिक सत्र **2021–22** हेतु ऑनलाईन ऑफ कैम्पस कांउसिलिंग प्रकिया के **पुर्नरीक्षित / संशोधित** कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाईट में अपलोड करने बावत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्तर्गत उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, गढ़ाकोटा (सागर) में संचालित द्वि–वर्षीय उद्यानिकी पत्रोपाधि कोर्स (2-Years Diploma in Horticulture) की निर्धारित सीटों पर अभ्यर्थियों को शैक्षणिक सत्र **2021–22** के लिए प्रवेश हेतु ऑनलाईन ऑफ कैम्पस कांउसिलिंग प्रकिया पुर्नरीक्षित / संशोधित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न किया जाना है। कांउसिलिंग हेतु **पुर्नरीक्षित / संशोधित** कार्यक्रम का विस्तृत विवरण की प्रतियॉ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः निर्देशित किया जाता है, कि संलग्न ऑनलाईन कांउसिलिंग प्रवेश प्रक्रिया के लिए **पुर्नरीक्षित / संशोधित** कार्यक्रम को विश्वविद्यालय की वेबसाईट में तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार
(1-6)

कुलसचिव

पृ.क्रमांक–शैक्ष. / दो / एम–8(डिप्लोमा) / 2021–22 / दिनांकः / 10 / 2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर.
2. प्रमुख वैज्ञानिक एवं प्रभारी, शुष्क उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, गढ़ाकोटा (सागर)
3. डॉ. यू.एस. ठाकुर, सम्पर्क अधिकारी (ज.ने.कृ.वि.वि.), एलआईजी–176, सीआईएई क्वार्टर, चेतक ब्रिज के नीचे, गौतम नगर, भोपाल–462023.
4. प्रबंधक, क्रिस्प ऑनलाइन एजेन्सी, श्यामला हिल्स, भोपाल. कृपया, प्रवेश प्रक्रिया हेतु संलग्न पुर्नरीक्षित / संशोधित कार्यक्रम के आधार पर शीघ्र लाईन खोलना सुनिश्चित करें ।

कुलसचिव

(1)

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
जबलपुर–482004 (म0प्र0)

उद्यानिकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सीटों पर ऑनलाईन प्रवेश सत्र 2021–2022

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर से जारी आदेश/पत्र क्रमांक–शैक्ष/दो/डिप्लोमा/2021–22/1137–1138, दिनांक 23–09–2021 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–2022 के लिए द्वि–वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रय में प्रवेश हेतु निर्धारित कार्यक्रम तकनीकी त्रृटिवश ऑनलाईन अपलोड न होने के कारण **पुर्नरीक्षित/संशोधित** कार्यक्रम जारी करते हुये उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, रनगुऑ, गढ़ाकोटा जिला सागर में द्वि–वर्षीय (दो विषय में) डिप्लोमा पाठ्यक्रय में प्रवेश हेतु (10+2) बारहवीं (कृषि/गणित/जीव विज्ञान) विषय के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं उद्यानिकी डिप्लोमा हेतु चयनित विद्यार्थी ऑनलाईन काउंसिलिंग में अधिकृत सहायता केन्दों से म.प्र. स्थित किसी कियोस्क से वेबसाईट www.jnkvv.org या www.crisponlineservices.com के माध्यम से सम्मिलित हो सकेगें ।

1. पौधशाला प्रबंधन (Nursery Management) – 40 सीटें
2. बीज उत्पादन (Seed Production) – 40 सीटें

पुर्नरीक्षित/संशोधित कार्यक्रम

पाठयक्रम	ऑनलाईन आवेदन एवं शुल्क का भुगतान कर लॉक करना	उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, रनगुऑ, गढ़ाकोटा में दस्तावेजों का सत्यापन	प्रावीणता मेरिट सूची के आधार पर ऑनलाईन सीट का ऑबटन	ऑनलाईन कॉउसिलिंग शिक्षण शुल्क का भुगतान	गढ़कोटा संस्थान में उपस्थिति प्रवेश एवं फीस का आूनलाईन भुगतान
उद्यानिकी डिप्लोमा	27–09–2021 से 14–10–2021 (रात 12 बजे तक)	18–10–2021 एवं 21–10–2021 (रात 11 बजे से शाम 5 बजे तक)	25–10–2021 (रात 12 बजे तक)	26–10–2021 से 28–10–2021 (रात 12 बजे तक)	01–11–2021 एवं 02–11–2021 (सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक)

अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व ऊपर दी गई वेबसाईट पर उलपब्ध प्रवेश संबंधी नियम एवं विस्तृत जानकारी की सूक्षमता से अध्ययन कर लेवें ।

कुलसचिव
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
जबलपुर

(2)

उद्यानिकी विषय में प्रारम्भ होने वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रम का विवरण

1. **पाठ्यक्रम का स्थल** :– "उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान," रनगुआ, गढाकोटा, जिला–सागर (म0प्र0)

2. **प्रारम्भ वर्ष** - शैक्षणिक सत्र 2008–2009 से

3. **उपलब्ध पाठ्यक्रम** :– उद्यानिकी डिप्लोमा दो पाठ्यक्रमों मे उपलब्ध हैं

   1. पौधशाला प्रबंधन (नर्सरी मेनेजमेंट) 2. बीज उत्पादन (सीड प्रोडक्शन)

4. **पाठ्यक्रम की अवधि** :– दो वर्ष (चार सेमेस्टर)

5. **पात्रता** :– 10+ 2 पाठ्यक्रम (विषय– कृषि / गणित / जीव विज्ञान)
   (केवल मध्यप्रदेश में स्थाई रुप से निवास करने वाले विद्यार्थियो हेतु)

6. **प्रवेश का आधार** :– मेरिट (प्रावीण्य सूची) के आधार पर (अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों हेतु न्यूनतम प्राप्तांक 50 प्रतिषत या अधिक) (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत)

7. **शिक्षा का माध्यम** :– हिन्दी

8. **सीटो का विवरण** :– उपलब्ध सीटों का विभिन्न श्रेणी (वर्गवार) सीटों का विवरण

वर्ग	कुल सीटों का प्रतिशत	पौधशाला प्रबंधन			बीज उत्पादन		
		X बिना वर्ग	F महिला	कुल सीट	X बिना वर्ग	F महिला	कुल सीट
अनारक्षित (UR)	37	11	04	15	11	04	15
अनुसूचित जनजाति (ST)	21	06	02	08	06	02	08
अनुसूचित जाति (SC)	15	04	02	06	04	02	06
अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	27	08	03	11	08	03	11
योग	**100**	29	11	40	29	11	40

<u>नोट</u> : – प्रोफेशनल एक्जामिनशन बोर्ड नियमानुसार यदि आरक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध नहीं हो, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। आरक्षित श्रेणी में बिना वर्ग के प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उनके रिक्त स्थानों को नियमानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा।

अनुसूचित जन जाति के लिए रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जावेगें। इसी प्रकार जाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थान को अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जावेगें । इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछडी जाति के उम्मीदवारों से भरा जावेगा। जब इन तीनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होगें तब रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे।

सभी वर्गों / श्रेणियों के अर्न्तगत महिला उम्मीद्वारों के लिए 30 प्रतिषत होरीजोन्टल आरक्षण रहेगा। यदि किसी वर्ग / श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिषत महिलायें न मिलें, तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी वर्ग / श्रेणी के पुरुषों से की जावेगी।

(3)

जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

ऑनलाईन ऑफ केम्पस काउंसिलिंग प्रकिया – 2021–2022

Diploma in Horticulture
उद्यानिकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम गढ़ाकोटा, जिला सागर (म.प्र.)

Nursery Management (पौधशाला प्रबंधन) Seed Production (बीज उत्पादन)

ऑनलाईन ऑफ केम्पस काउंसिलिंग हेतु छः स्टेप

1. ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration)
2. ऑनलाईन प्राथमिता कम का चयन एवं ऑनलाईन आवेदन/पोर्टल शुल्क का भुगतान (Online Preference/Choice filling and payment of online application/portal fee)
3. दस्तावेजों का सत्यापन (Document Verification)
4. ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment)
5. ऑनलाईन आंषिक षिक्षण/काउंसिलिग शुल्क का भुगतान (Online part payment of counseling fee)
6. आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश (Reporting and Admission in allotted Institute)

कांउसिलिंग में अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों तथा काउंसिलिंग कार्यक्रम के आधार सम्मिलित होने वाले समस्त श्रेणी के समस्त अभ्यार्थियों को उपरोक्त सभी स्टेप्स 1 से 6 तक पालन करना होगा।

1. ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration)

समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाईन पंजीयन कराना होगा। ऑनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिए सभी अभ्यर्थी बैबसाईट पर ऑनलाईन पंजीयन करवाएगें। ऑनलाईन कांउसिलिंग हेतु अभ्यर्थी इंटरनेट के माध्यम से जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की बैवसाईट www.jnkvv.org एवं किप्स, भोपाल की बैवसाईट www.crisponlineservices.com द्वारा प्रदेश में कही से भी सम्मिलित हो सकते है।

सफलतापूर्वक पंजीयन उपरांत अभ्यर्थी को आई.डी. एवं पासवर्ड एस.एम.एस./ई. मेल द्वारा प्राप्त होगा।

अगली बार अभ्यर्थी अपने आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर लॉगइन कर सकते है।

सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि काउंसिलिंग की प्रक्रिया के लिए पासवर्ड सुरक्षित व गोपनीय रखें ताकि समय समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो।

अभ्यर्थी को ये सुविधा रहेगी की वह कभी भी अपना पासवर्ड बदल सकता है।

पासवर्ड भूल जाने/गुम जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा Forget Password पर क्लिक कर पासवर्ड Reset किया जा सकेगा।

2. आनलाईन प्राथमिता कम का चयन एवं आंनलाईन आवेदन/पोर्टल शुल्क का भुगतान (Online Preference/Choice filling and payment of online application/portal fee)

सफलतापूर्वक लॉगइन पष्चात अभ्यर्थी अपने वांछित जानकारी का उपयोग कर पाठ्यकमवार प्राथमिकता कम से चयन कर सकेगें। इस कार्यवाही के लिए निम्नानुसार प्रकिया का पालन करना होगा।

अभ्यर्थी द्वारा सभी उपलब्ध पाठ्यकमों का प्राथमिकतानुसार ऑनलाईन चयन करना तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व शुल्क का भुगतान कर च्वाइस लॉक करना अनिवार्य है।

अपनी इच्छित प्राथमिकताकम को लॉक करने के पूर्व अभ्यर्थी अपनी इच्छित प्राथमिकताकम को अपनी संतुष्टि के लिये कई बार बदल सकते हैं। शुल्क का भुगतान करने के बाद इच्छित प्राथमिकता कम लॉक हो जावेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकेगा। अभ्यर्थीयों को शुल्क रु. 550/– का ऑनलाईन भुगतान करना होगा जो कि अप्रतिदेय (Non refundable) है। अपनी च्वाईस को लॉक करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का ब्यौरा तथा उनकी च्वाईस (Choice) का कम प्राथमिकता कम के अनुसार मुद्रित होगा। अभ्यर्थी इस पावती (Receipt) को संभालकर अपने पास रखे। शुल्क का भुगतान के लिए निम्नलिखित दिये गये विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।

1. इन्टरनेट बैकिंग (समस्त बैंक)
2. ए.टी.एम./डेबिट/केडिट कार्ड (मास्टर/वीजा)
3. दस्तावेजों का सत्यापन (Document Verification)

अभ्यर्थी द्वारा इच्छित प्राथमिता कम को लॉक करने के पश्चात सर्वप्रथम सत्यापन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने निम्नलिखित मूल दस्तावेजों को सत्यापित करवाना होगा।

- 10 वीं की अंकसूची / प्रमाण पत्र
- 12 वीं की अंकसूची / प्रमाण पत्र माईग्रेशन प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- मध्यप्रदेष के मूल निवासी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- गेप प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- ऑनलाईन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भुगतान की पावती

मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस कर दिये जावेंगें। अभ्यर्थीयों को (Eligible/Not Eligible) की पावती जारी करेंगें। Not Eligible अभ्यर्थी सत्यापन की अंतिम तिथी के पूर्व पुनः उपस्थित होकर अपने सही/चाहे गये दस्तावेंजों का सत्यापन करवा सकते है अथवा आरक्षित श्रेणी में Not Eligible होने पर अभ्यर्थी अपनी स्वेच्छा से अनारक्षित अभ्यर्थी की श्रेणी में काउंसिलिंग हेतु सम्मिलित हो सकेगा।

4. ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment)

अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता कम मेरिट के अनुसार निर्धारित समय सारणी के अनुसार आवंटन किया जावेगा तथा आवंटित पाठ्यकम का उल्लेख आवंटनर पत्र में होगा । जिसे वे अपने लागईन आई.डी/पासवर्ड डालकर इसका प्रिंटआउट प्राप्त करेंगें।

5. ऑनलाईन आंशिक शिक्षण/काउंसिलिग शुल्क का भुगतान (Online part payment of counseling fee)

आवंटन के पष्चात विद्यार्थी द्वारा अपने लॉगईन आई.डी./पासवर्ड का उपयोग कर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आंशिक शिक्षण/काउंसिलिग शुल्क राशि रु. 1000/राशि रुपया (एक हजार मात्र) का भुगतान करना होगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का ब्यौरा मुद्रित होगा। अभ्यर्थी इस पावती (Receipt) को संभालकर अपने पास रखें तथा प्रवेश के समय प्रस्तुत करें।

6. आवंटित संस्था उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान गढ़ाकोटा, जिला सागर में उपस्थिति एवं प्रवेश

अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु आवंटन पत्र, कांउसिंलिंग शुल्क भुगतान की पावती तथा अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होंगें **शुल्क भुगतान की पावती प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे।** आवष्यक मूल अभिलेख/प्रमाण पत्र जांच करने के पश्चात छात्रों को वापस कर दिये जायेंगें एवं सभी अभिलेखें के स्वप्रमाणित/सत्यापित प्रति अनिवार्य रुप से जमा कर लिये जायेंगें।

कुलसचिव
जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय
जबलपुर
6/10/21